संख्या-5-979/ 77-3-15-67(एम)/ 15

प्रेषक,

ओम प्रकाश पाठक,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,गोमतीनगर,
लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग **लखनऊ:दिनांक: 29 मई,2015**

विषय:-आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे(ग्रीन फील्ड) परियोजना को 06 लेन एक्सपेन्डेबल टू 08 लेन में सट्रक्चर्स (पुल/ पुलिया/ अण्डरपास आदि) 08 लेन चौड़े बनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2226/ यूपीडा/ 2013/ 206, दिनांक 12.03.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अवगत कराया गया है कि आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना को भविष्य में 06 लेन से 08 लेन हेतु एक्सप्रेसवे का चौड़ीकरण एक-एक लेन (3.7मी0) मिट्टी का कार्यकरते हुए मार्ग के दोनों ओर किया जायेगा। चौड़ीकरण के कार्य,ड्रेन व फन्सिंग हेतु एक्सप्रेसवे के दोनों ओर एक्सप्रेसवे के तटबन्ध की दो (toe) व सर्विस रोड के मध्य भूमि पर न्यूनतम 10 मीटर का कॉरिडोर छोड़ा जाना होगा तथा सर्विस रोड व एक्सप्रेसवे के मध्य ड्रेन तथा फैन्सिंग आदि इस प्रकार अवस्थित की जानी होगी कि भविष्य में एक्सप्रेसवे को चौड़ा करने में कोई व्यवधान न हो। उक्त के दृष्टिगत आपके उक्त प्रस्ताव द्वारा परियोजना को 06 लेन एक्सपेन्डेबल टू 08 लेन में सट्रक्चर्स [redacted]लिया/ अण्डरपास आदि) 08 लेन चौड़े बनाये जाने के प्रस्ताव पर शासन का [redacted]न प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. प्रश्नगत प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त यूपीडा द्वारा किये गये प्रस्ताव पर इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है कि प्रस्तावित Change of scope अनुबन्ध में दिये गये प्राविधानों के अनुरूप होगा तथा इस पर आने वाली अतिरिक्त लागत का आंकलन अनुबन्ध के क्लाज 13.2.2 एवं 13.2.3 के अनुसार किया जायेगा।

3. शासन द्वारा प्रश्नगत परियोजना के स्ट्रक्चर्स को 06 लेन से 08 लेन चौड़ा बनाये जाने की स्वीकृति के फलस्वरूप परियोजना के सिविल कार्यो की लागत में लगभग 5.43

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रतिशत की वृद्धि अनुमन्य होगी, जिसका वहन शासन द्वारा किया जायेगा किन्तु यह वृद्धि अनुबन्ध के क्लाज 13.4.2 में उल्लिखित विचलन सीमा 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत होगी।

4. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे(ग्रीन फील्ड) परियोजना में 06 लेन के स्थान पर 08 लेन चौड़े बनाये जाने हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

ओम प्रकाश पाठक,
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।